

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 327 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 29 / 04 / 14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. महेश कुशवाह पुत्र रामकिशन कुशवाह, उम्र 40 वर्ष।

निवासी :- ग्राम हरीराम पुरा, थाना-मालनपुर, जिला :- भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

( आज दिनांक :- 11 / 09 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी महेश कुशवाह पर धारा :- 04 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 26 / 04 / 2014 की रात्रि लगभग 11:20 बजे स्थित कुशवाह कॉलोनी हरीराम मालनपुर, सार्वजनिक स्थल पर सट्टा के नाम से द्युत कीडा के लिए सट्टा पर्ची लिखकर और धन राशि लेकर अंको अथवा संख्या का प्रचार-प्रसार किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 26 / 04 / 2014 को थाना मालनपुर की उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य को कस्बा गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हरीराम पुरा पर महेश कुशवाह रुपये लेकर एक रुपये के बदले 80/- रुपये देने की सट्टे के नम्बर की पर्ची लिख रहा है। मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु मय फोर्स प्रधान आरक्षक ओमवीर सिंह, आरक्षक राकेश सिंह मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँची, तो आरोपी महेश कुशवाह हरीराम की कुईया पर लाईट के उजाले में सट्टा पर्ची रुपये लेकर लिख रहा था। आरोपी की मौके पर तलाशी लेने से उसके कब्जे से 2110 रुपये, एक सट्टे की पर्ची एवं एक पेन मिला। तत्पश्चात् आरोपी के कब्जे से उक्त रुपये एवं सट्टे की पर्ची साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया तथा आरोपी महेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 91 / 2014 अन्तर्गत धारा 04 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान विनोद एवं आरक्षक राकेश के

कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त महेश कुशवाह के विरुद्ध धारा 04 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी महेश कुशवाह ने दिनांक :- 26/04/2014 की रात्रि लगभग 11:20 बजे स्थित कुशवाह कॉलौनी हरीराम मालनपुर, सार्वजनिक स्थल पर सट्टा के नाम से द्युत कीडा के लिए सट्टा पर्ची लिखकर और धन राशि लेकर अंको अथवा संख्या का प्रचार-प्रसार किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

#### विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी डिम्पल मौर्य अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 26/04/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में एसआई के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को वह कस्बा भ्रमण कर रही थी, तभी जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि हरीराम पुरा पर महेश कुशवाह रुपये लेकर एक रुपये के बदले अस्सी रुपये की पर्ची लिख रहा है। सूचना की तश्दीक हेतु प्रधान आरक्षक ओमवीर, आरक्षक राकेश के साथ कुशवाह कॉलौनी पहुँची तो कुशवाह कॉलौनी में महेश कुशवाह हरीराम की कुईया पर लाईट के उजाले में सट्टे की पर्ची रुपये लेकर लिख रहा था। साक्षी आगे कहती है कि उसके द्वारा मौके पर उसके कस्बे से 2110 रुपये एवं सट्टे का एक पर्चा एवं एक पैन्सिल जब्त किया था, पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, उसके द्वारा मौके पर उक्त पर्ची जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सट्टे की पर्ची प्र.पी.03 है, जो आरोपी महेश के हस्तलेख में है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहती है कि तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाना

वापस लाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 91 / 2014 अन्तर्गत धारा 04 “क” जुआ एक्ट पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 लेखबद्ध की गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.03 का यह कहना है कि वह आज नहीं बता सकती कि घटना दिनांक को वह थाने से कितने बजे निकली थी। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में घटना दिनांक के आरोपित घटना से संबंधित रवानगी एवं वापसी रोजनामचा सान्हा की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। अभिलेख के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि अभियोग पत्र के साथ रवानगी-वापसी रोजनामचा सान्हा की कोई सत्यप्रति या छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में ही उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.03 का यह कहना है कि वह कस्बा भ्रमण के लिए थाने से शासकीय चार पहिया वाहन से निकले थे, वह कौन सा चार पहिया वाहन था, वह नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि किसी भी पुलिस थाने में सीमित संख्या में चार पहिया वाहन होते हैं, जिनका प्रकार उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य द्वारा ना बता पाना संदेह उत्पन्न करता है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.03 का यह कहना है कि मेरे साथ मौजूद आरक्षकों द्वारा आरोपी को पकड़ा गया था, वह हम लोगों को देखकर थोड़ी दूर भागा था, जिसे हम लोगों ने पकड़ा था। साक्षी आगे कहती है कि वह आज नहीं बता सकती कि आरोपी महेश के पीछे कौन भागा था और अन्य लोगों के पीछे कौन भागा था। जबकि आरक्षक राकेश अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह कहना है कि वह महेश के पीछे भागा था एवं प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में उसका कहना है कि दीवान जी अर्थात् ओमवीर अ.सा.02 तथा मैडम अर्थात् डिम्पल मौर्य अ.सा.03 ने मौके पर मौजूद अन्य भागने वाले लोगों का पीछा किया था। साक्षी आगे कहता है कि जब-तक मौके पर डिम्पल मौर्य एवं दीवान जी वापस नहीं आ गये थे, तब तक उसने आरोपी महेश की तलाशी नहीं ली थी। इससे यह प्रकट होता है कि डिम्पल मौर्य एवं ओमवीर के आने के पूर्व ही आरक्षक राकेश अ.सा.01 द्वारा आरोपी महेश को पकड़ लिया गया था, परन्तु यह तथ्य डिम्पल मौर्य अ.सा.03 या ओमवीर अ.सा.02 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार आरोपी महेश को किसने पकड़ा और किन पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से सट्टा लगा रहे अन्य व्यक्तियों का पीछा किया, इस वावत् राकेश अ.सा.01, ओमवीर अ.सा.02 एवं डिम्पल मौर्य अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.03 का यह कहना है कि आरोपी महेश से जब्त सट्टा पर्ची प्र.पी.03 पर इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि एक रुपये के बदले अस्सी रुपये मिलेंगे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस

सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त कथित सट्टा पर्ची प्र.पी.03 आरोपी महेश ने उसके सामने नहीं लिखी थी। राकेश अ.सा.01 का इस वावत् कहना है कि उसने आरोपी को लिखा-पढ़ी करते देखा था। इस प्रकार एक ही वाहन में मौजूद उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.03 द्वारा आरोपी को कोई लिखा-पढ़ी करते ना देखा जाना, जबकि उनके साथ मौजूद आरक्षक राकेश द्वारा आरोपी को लिखा-पढ़ी करते देखा जाना, एक ऐसा विरोधाभासी तथ्य है, जो कि सत्य प्रतीत नहीं होता है। ओमवीर अ.सा.02 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि सट्टा पर्ची प्र.पी.03 आरोपी महेश की हस्तलिपि में है, अथवा नहीं, इस वावत् कोई जांच नहीं की गई थी। उल्लेखनीय है कि ऐसी हस्तलिपि की जांच के अभाव में और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना से नहीं माना जा सकता कि उक्त कथित सट्टा पर्ची आरोपी महेश द्वारा लेखबद्ध की गई है। उल्लेखनीय यह भी है कि उक्त सट्टा पर्ची प्र.पी.03 पर कहीं पर भी एक रुपये के बदले अस्सी रुपये दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रकरण की जब्तीकर्ता डिम्पल मौर्य अ.सा.03 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने किस प्रकार यह पाया कि प्र.पी.03 का दस्तावेज एक सट्टा पर्ची है, जिसके माध्यम से आरोपी महेश एक रुपये के बदले अस्सी रुपये देने का प्रलोभन आम-जनता एवं उसके आस-पास लोगों को दे रहा था।

12. उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसके द्वारा आरोपी से कथित रूप से जब्तशुदा, रुपये सट्टा पर्ची एवं पेन्सिल को जब्त कर सीलबंद किया था। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर कोई सील नमूना अंकित नहीं है। जबकि जब्ती के कथित साक्षी आरक्षक राकेश अ.सा.01 ने भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में उक्त जब्तशुदा वस्तुएं के सीलबंद किये जाने का उल्लेख प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में किया है। इस प्रकार कथित रूप से आरोपी से जब्तशुदा रुपये, पेन्सिल एवं पर्ची उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य द्वारा घटनास्थल पर सीलबंद की गई थी, अथवा नहीं, इस वावत् डिम्पल मौर्य अ.सा.03 एवं आरक्षक राकेश अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य ऐसे विरोधाभास है, जो कि गंभीर प्रकृति के है।

13. अभियोजन साक्षी राकेश अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 26/04/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह, एस.आई.डिम्पल मौर्य एवं प्रधान आरक्षक ओमवीर के साथ हरीराम पुरा कुशवाह कॉलोनी गये थे। डिम्पल मौर्य को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति सट्टा लगा रहा है। साक्षी आगे कहता है कि वहाँ पहुँचने पर डिम्पल मौर्य ने बताया कि आरोपी महेश कुशवाह को पकड़ना है, फिर उन लोगों ने उसको पकड़ा था। आरोपी महेश कुशवाह के पास से एक सट्टे की पर्ची, एक पेन्सिल एवं 2110 रुपये जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.

02 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि मैडम को लगभग ग्यारह-सवा ग्यारह बजे सूचना मिली थी, उसके बाद वह लोग मैडम के साथ गये थे। रात्रि लगभग 11:20 बजे आरोपी से जब्ती की कार्यवाही की गई थी, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस संबंध में उसका बयान लिया था।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में राकेश अ.सा.01 का कहना है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में डिम्पल मौर्य अ.सा.03 ने जब्तशुदा नोट कितने-कितने रुपये के थे, इसका उल्लेख किया था, परन्तु जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है और नोटों का विवरण जब्ती पत्रक में लिखे जाने का कोई उल्लेख डिम्पल मौर्य अ.सा.03 द्वारा भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं किया गया। इस प्रकार इस वावत् राकेश एवं डिम्पल मौर्य का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में राकेश अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी महेश ने सट्टा पर्ची प्र.पी.03 पेट की दाहिनी जेब में छिपा ली थी। जबकि डिम्पल मौर्य अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है।

15. राकेश अ.सा.01 एवं डिम्पल मौर्य अ.सा.03 दोनों ने ही प्रधान आरक्षक ओमवीर का घटना के समय उनके साथ होना दर्शित किया है, जबकि ओमवीर अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि वह आरोपित घटना के समय राकेश अ.सा.01 या डिम्पल मौर्य अ.सा.03 के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। इस प्रकार इस वावत् राकेश अ.सा.01, ओमवीर अ.सा.02 एवं डिम्पल मौर्य अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

16. जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उस पर अपराध क्रमांक 91/2014 को काटकर 0/14 किया गया है, इसी प्रकार रोजनामचा सान्हा क्रमांक 13 को काटकर 14 किया गया है। घटना के समय पर भी ओवर-राईटिंग की गई है। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उस पर अपराध क्रमांक 91/14 को काटकर 0/14 किया गया है। उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में आरोपित घटना पर से अपराध क्रमांक 91/14 ही पंजीबद्ध किया गया है। जब्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता डिम्पल मौर्य अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी दर्शित नहीं किया है कि जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक में उक्त ओवरराईटिंग एवं काट-पीट किसके द्वारा की गई। डिम्पल मौर्य अ.सा.03 द्वारा यह भी दर्शित नहीं किया गया कि कथित रूप से घटनास्थल पर बनाये गये जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रकों पर हस्तगत अपराध के अपराध क्रमांक 91/14 किस प्रकार लेखबद्ध किया गया, जबकि घटनास्थल पर कथित जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक बनाये जाते समय थाना मालनपुर पर उक्त अपराध क्रमांक पंजीबद्ध ही नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 में भी घटना के समय के स्थान पर ओवर राईटिंग की गई है, जिसका कोई कारण डिम्पल मौर्य अ.सा.03

द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया गया।

17. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी महेश कुशवाह ने दिनांक :- 26/04/2014 की रात्रि लगभग 11:20 बजे स्थित कुशवाह कॉलौनी हरीराम मालनपुर, सार्वजनिक स्थल पर सट्टा के नाम से द्युत कीडा के लिए सट्टा पर्ची लिखकर और धन राशि लेकर अंको अथवा संख्या का प्रचार-प्रसार किया।

### अंतिम निष्कर्ष

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी महेश कुशवाह के विरुद्ध धारा 04 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी महेश कुशवाह को आयुध अधिनियम की धारा 04 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

20. प्रकरण में आरोपी महेश से जब्तशुदा राशि 2110/- रुपये अपील अवधि पश्चात् अवधि ना होने की दशा में महेश को प्रदान कर व्ययनित की जाये। प्रकरण में जब्तशुदा सट्टे की पर्ची एवं पेन्सिल अपील अवधि पश्चात् अपील ना होने की दशा में मूल्यहीन होने के कारण नष्ट कर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद